कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए–बी विंग,भोपाल–462004

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक– 30/04/2017.

क्रमांक– 1343/620/आउशि/सम्बद्वता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017–18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यकम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यकमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यकमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करनें पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यकमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करनें संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश कमांक – 574/369/आउशि/सम्बद्वता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरूद्ध संस्था द्वारा प्रथम 'रिव्यू' दर्ज नहीं किया गया। तथा संस्था द्वारा राशि रूपये 35,000/– के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करनें के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :–

सरल कमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	सारंगपुर शिक्षा प्रसारक समिति, सारंगपुर (राजगढ़)
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	सरदार पटेल शिक्षा महाविद्यालय, बिगनोदीपुरा, सारंगपुर (राजगढ़)
3	आवेदित नवीन पाठ्यकम	—
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यकम	बी0एससी0–द्वितीय अतिरिक्त विषय–कम्प्युटर एप्लीकेशन सहित, बी0एससी0–आनर्स द्वितीय वर्ष (वनस्पति, प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र) अतिरिक्त विषय–कम्प्यु. साईस सहित, बी0ए0 –द्वितीय (हिन्दी, इतिहास, राजनीति)
5	आदेश कमांक – 574/369/आउशि/सम्बद्वता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करनें का कारण	संस्था को गत वर्ष इस कार्यालय/विभाग स्तर से अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया था, संस्था के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करनें के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा के आदेश दिनांक 03/03/2017 द्वारा अशासकीय सरदार पटेल शिक्षा महाविद्यालय, सारंगपुर जिला राजगढ़ द्वारा प्रस्तुत समस्त शुल्क को राजसात करते हुए संस्था में उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त पाठ्यकमों हेतु सत्र 2017–18 से प्रवेश पर रोक लगाते हुए, प्रथम वर्ष के लिये जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण–पत्रों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाकर संस्था की मान्यता समाप्त की जा चुकी है। अतःसंस्था द्वारा निरन्तरता के पाठ्यकमों हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन–पत्र में पाई गई कमियों के लिये पत्र जारी नहीं किया गया है।

6	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	आदेश दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करनें के कारण यथावत् होनें से अमान्य।
7	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	

आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यकमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यकम	– निरंक –
आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यकमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यकम	बी0एससी0–द्वितीय अतिरिक्त विषय–कम्प्युटर एप्लीकेशन सहित, बी0एससी0–आनर्स द्वितीय वर्ष (वनस्पति, प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र) अतिरिक्त विषय–कम्प्यु. साईंस सहित, बी0ए0 –द्वितीय (हिन्दी, इतिहास, राजनीति)

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

पृ. क्रमांक–1344/620/आउशि/सम्बद्वता/17. भोपाल, दिनांक– 30/04/2017.
प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।

2– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.,भोपाल।

3– क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल–नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।

4– कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।

5– प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।

6– संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

–––की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.